भारत सरकार

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1000

उत्‍तर देने की तारीख: 09.03.2017

**जाली शैक्षणिक संस्थान**

1000. श्री शंकरभाई एन॰ वेगड़ः

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि देश में जाली शैक्षणिक संस्थान शिक्षा प्रमाणपत्र प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध् में क्या कार्रवाई की गई है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. महेन्‍द्र नाथ पाण्‍डेय)**

(क) और (ख): जी, हां। काफी संख्‍या में फर्जी विश्‍वविद्यालय और फर्जी तकनीकी संस्‍थाओं का नाम सरकार के नोटिस में आया है जोकि विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के बिना अनुमोदन के डिग्री/प्रमाण-पत्र प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में, यूजीसी और एआईसीटीई द्वारा क्रमश: 23 विश्‍वविद्यालयों और 279 तकनीकी संस्‍थाएं फर्जी विश्‍वविद्यालयों और फर्जी तकनीकी संस्‍थाओं के रूप में सूचीबद्ध किए गए हैं। राज्‍य-वार फर्जी विश्‍वविद्यालयों और फर्जी तकनीकी संस्‍थाओं का ब्‍यौरा निम्‍नवत है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य का नाम** | **यूजीसी द्वारा पहचान किए गए फर्जी विश्‍वविद्यालयों की संख्‍या** | **एआईसीटीई द्वारा पहचान की गई फर्जी तकनीकी संस्‍थाओं की संख्‍या** |
| 1. | आंध्र प्रदेश | --- | 7 |
| 2. | बिहार | 1 | 17 |
| 3. | चंडीगढ़ | --- | 7 |
| 4. | दिल्‍ली | 7 | 66 |
| 5. | गोवा | --- | 2 |
| 6. | गुजरात | --- | 8 |
| 7. | हरियाणा | --- | 18 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | --- | 1 |
| 9. | झारखंड | --- | 4 |
| 10. | कर्नाटक | 1 | 23 |
| 11. | केरल | 1 | 2 |
| 12. | महाराष्‍ट्र | 1 | 17 |
| 13. | ओडि़शा | 2 | 1 |
| 14. | पंजाब | --- | 5 |
| 15. | राजस्‍थान | --- | 3 |
| 16. | तमिलनाडु | --- | 11 |
| 17. | तेलंगाना | --- | 36 |
| 18. | उत्‍तराखंड | --- | 3 |
| 19. | उत्‍तरप्रदेश | 8 | 22 |
| 20. | पश्चिम बंगाल | 2 | 26 |
| **कुल** | | **23** | **279** |

फर्जी विश्‍वविद्यालयों और फर्जी तकनीकी संस्‍थाओं की सूची क्रमश: यूजीसी की वेबसाइट [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) और एआईसीटीई की वेबसाइट [www.aicteindia.org](http://www.aicteindia.org) पर उपलबध है।

(ग): इन फर्जी विश्‍वविद्यालयों के खिलाफ कई कदम उठाए गए हैं। मंत्रालय ने अपने 21 जुलाई, 2015 के अ.शा. पत्र सं. 12-3/2015/यू3ए के तहत संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से अनुरोध किया था कि वे मामले की जांच करें और इन फर्जी विश्वविद्यालयों के विरूद्ध पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराएं। साथ ही उन विश्वविद्यालयों के विरूद्ध मुकदमा भी चलाया जाए जो अपने आपको डिग्री प्रदान करने वाले “विश्वविद्यालयों” के रूप में गलत ढंग से प्रस्तुत कर छात्रों को छलने या धोखा देने में लिप्त हैं।

इसके अलावा यूजीसी ने इन फर्जी विश्वविद्यालयों के फैलाव को रोकने और ऐसे विश्वविद्यालयों के विरूद्ध जनता को चेतावनी देने के लिए निन्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. आम जनता/छात्रों/अभिभावकों की जागरूकता के लिए, यूजीसी अपनी वेबसाइट [www.ugc.ac.in](http://www.ugc.ac.in) पर फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची उपलब्ध करवाता है। उन सभी स्वयंभू गैर-मान्यताप्राप्त और गैर-अनुमोदित संस्थाओं को आगाह किया जाता है जो अवर स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम चला रही हैं और भ्रामक विज्ञापन दे रही हैं, उन पर यूजीसी अधिनियम तथा भारतीय दण्ड संहिता आदि सहित उपयुक्त कानूनों के प्रावधानों के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।
2. यूजीसी प्रत्येक शैक्षिक सत्र के प्रारंभ में, देश के विभिन्न भागों में कार्यशील उन स्वयंभू, अनधिकृत फर्जी विश्वविद्यालय/उच्चतर शिक्षा संस्थाओं के प्रति महत्वाकांक्षी छात्रों, अभिभावकों और आम लोगों को चेताने के लिए देश के राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों में प्रेस विज्ञप्ति और सार्वजनिक सूचना तथा देश में राज्य-वार फर्जी विश्वविद्यालयों की सूची हिन्दी और अंग्रेजी में जारी करता है कि वे इनके द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों में प्रवेश न लें।
3. यूजीसी द्वारा फर्जी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के विरूद्ध विभिन्न न्यायालयों में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। इन फर्जी विश्वविद्यालयों/गैर-मान्यताप्राप्त संस्थाओं द्वारा दायर किए गए विभिन्न मुकदमे न्यायालय में लंबित हैं।
4. यूजीसी ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रधान सचिवों/शिक्षा सचिवों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले फर्जी विश्वविद्यालयों के विरूद्ध उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखे हैं। यूजीसी द्वारा दिनांक अप्रैल, 2016 को एक अनुस्मारक पत्र भी जारी किया गया है।

इसके अलावा, एआईसीटीई ने फर्जी/गैर-अनुमोदित संस्‍थाओं के विरूद्ध निम्‍नलिखित कार्रवाई शुरू कर दी है:

i) गैर-अनुमोदित/अनियमित तकनीकी संस्‍थाओं की सूची प्रधान सचिव/निदेशक, तकनीकी शिक्षा/संबंधित राज्‍य प्राधिकारियों को ऐसी सोसायटी/व्‍यक्ति/कंपनी/ट्रस्‍ट आदि जोकि एआईसीटीई के सांविधिक अनुमोदन प्राप्‍त किए बिना पाठ्यक्रम कार्यक्रमों को प्रदान कर रहे हैं, के विरूद्ध उचित कार्रवाई करने के लिए भेजें।

ii) समाचार पत्रों में छात्रों को आगाह करते हुए कि ऐसी गैर-अनुमोदित संस्‍थाओं में हितधारकों के लाभ के लिए दाखिला न लें, के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी करना।

iii) एआईसीटीई वेबसाइट पर ऐसी फर्जी संस्‍थाओं की सूची अद्यतन करना।

iv) एआईसीटीई के रिकॉर्ड में उपलब्‍ध गैर-अनुमोदित संस्‍थाओं को नोटिस जारी करना कि अपने कार्यक्रम बंद करें अथवा एआईसीटीई के पास अनुमोदन के लिए अनुरोध। इस नोटिस की प्रतिलिपि संबंधित राज्‍य प्राधिकारियों को सूचनार्थ और आवश्‍यक कार्रवाई हेतु भी पृष्‍ठांकित की जाती है।

**\*\*\*\*\***